द्वारा ई–मेल/द्वारा फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–।

संख्याःपॉच–470(वरिष्ठता)–2014 दिनॉकःनवम्बर 11 ,2014

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश। (पीएसी को छोड़कर)
2–समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश (पीएसी को छोड़कर)
5–सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

––––

विषयः उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।

–––

कृपया उपरोक्त सन्दर्भ में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याःपॉच–470(वरिष्ठता)2014 दिनॉकः 29–07–2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्रशिक्षण बैच– 1997–98 तक के उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त वरिष्ठता सूची परिचालित करते हुये सम्बन्धित उपनिरीक्षकों को सूचित करने तथा प्रत्यावेदन उपलब्ध कराये जाने एवं डाटा में त्रुटि होने तथा किसी उपनिरीक्षक का नाम छूटा होने की दशा में अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्रशिक्षण सत्र–1989–90 तक के उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त वरिष्ठता पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याःपॉच–470(वरिष्ठता)2013 दिनॉकः17–06–2013 व 08–07–2013 एवं शुद्धि पत्र के अनुसार निर्धारित की गयी है। उक्त सूची में मृतक आश्रित वर्ष–1995–96 (प्रशिक्षण सत्र–1995–96), सीधी भर्ती परीक्षा–1991(प्रशिक्षण सत्र–1997–98) तथा प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रशिक्षण सत्र–2000–01 में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, विभागीय रैंकर परीक्षा–1991(प्रशिक्षण सत्र –1997–98) एवं मृतक आश्रित वर्ष–1997–98 (प्रशिक्षण सत्र–1997–98) के उपनिरीक्षकों की वरिष्ठता निम्नलिखित रीति से निर्धारित कर, जोड़ते हुये प्रशिक्षण सत्र–1997–98 तक की अनन्तिम वरिष्ठता सूची तैयार की गयी हैः–

1. मृतक आश्रित वर्ष–1995–96 (प्रशिक्षण सत्र–1995–96) के चयन को सीधी भर्ती परीक्षा–1991(प्रशिक्षण सत्र–1997–98), विभागीय रैंकर परीक्षा–1991(प्रशिक्षण सत्र –1997–98) एवं मृतक आश्रित वर्ष–1997–98 (प्रशिक्षण सत्र–1997–98) के चयन से पूर्व का चयन माना गया है। अतः मृतक आश्रित वर्ष–1995–96 (प्रशिक्षण सत्र–1995–96) के बैच की वरिष्ठता अन्य तीनों बैचों से ऊपर रखी गयी है।
2. मृतक आश्रित वर्ष–1997–98 के चयन को सीधी भर्ती–1991 (प्रशिक्षण सत्र–1997–98) के चयन के समान ही रखा गया है। इनमें से किसी को पूर्ववर्ती अथवा पश्चात्‌वर्ती नहीं माना गया है। इन दोनों प्रकार से चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता पीटीसी में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की गयी है।
3. सीधी भर्ती परीक्षा–1991 की प्रतीक्षा सूची (प्रशिक्षण सत्र–2000–01) के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती परीक्षा–1991 के चयन के साथ ही रखा गया है। अतः प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियमित रूप से भर्ती अभ्यर्थियों के साथ रखकर पीटीसी में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की गयी है।
4. सीधी भर्ती परीक्षा–1991(प्रशिक्षण सत्र–1997–98)एवं मृतक आश्रित वर्ष–1997–98 (प्रशिक्षण सत्र–1997–98) तथा विभागीय रैंकर परीक्षा–1991(प्रशिक्षण सत्र –1997–98) की ज्येष्ठता निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 के प्रस्तर–8(3) में दी गयी व्यवस्थानुसार विभागीय रैंकर परीक्षा एवं सीधी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों (जिसमें मृतक आश्रित भी शामिल हैं) की पारस्परिक वरिष्ठता चक्रानुक्रम में निर्धारण किया गया है।

3— उपनिरीक्षक ना0पु0 एवं अभिसूचना की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in/frmCircular.aspx?slugName=phq&Subname=EstMCivPolice** पर प्रदर्शित की गयी है। **अनन्तिम वरिष्ठता सूची सर्वसम्बन्धित को E-Mail से भेजी जा रही है। अनन्तिम वरिष्ठता सूची में कुल—1949 उपनिरीक्षक ना0पु0 के नाम अंकित हैं।**

4— कृपया उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रशिक्षण सत्र 1997—98 तक के उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस की **अनन्तिम वरिष्ठता सूची को डाउन लोड कर** सम्बन्धित उपनिरीक्षकों के डाटा का पुनः अभिलेखों से मिलान करा लिया जाय।

5— इस सूची को पुलिस लाइन/थानों/कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित स्थानों पर प्रचार—प्रसार करने हेतु सूचना—पट् पर चस्पा करा दिया जाय। सूची में अंकित यदि कोई उपनिरीक्षक प्रतिनियुक्ति पर है तो उसे सूचित करने की जिम्मेदारी उसके गहन जनपद/इकाई की होगी। सम्बन्धित उपनिरीक्षकों के सूचित किये जाने सम्बन्धी अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रख लिये जाय तथा उन्हें आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु एक सप्ताह का अवसर दिया जाय। जो उपनिरीक्षक अवकाश अथवा किसी भी अन्य कारण से जनपद/इकाई में उपलब्ध न हो तो उन्हें दूरभाष एवं पंजीकृत पत्र द्वारा इस सूची के प्रकाशन से अवगत कराया जाय। जो उपनिरीक्षक **दिनॉकः19—11—2014** तक कोई प्रत्यावेदन के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करते हैं, तो उनके प्रत्यावेदन में अंकित आपत्तियों का निराकरण करते हुये सुविचारित आख्या मय अभिलेख के **दिनॉकः20—11—2014** तक प्रत्येक दशा में पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जाये।

6— उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याःपॉच—470(वरिष्ठता)2014 दिनॉकः29—07—2014 के कम में प्रत्यावेदन द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उपनिरीक्षकों को सूचित करने हेतु अलग से पत्र निर्गत किये जा रहे हैं।

7— समस्त जनपद/इकाईयों से अनुरोध है कि उपनिरीक्षक ना0पु0 एवं अभिसूचना की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित कर्मियों के डाटा का मिलान अभिलेखों से पुनः करा लिया जाय। यदि उपरोक्त सूची में किसी उपनिरीक्षक के डाटा में कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा किसी उपनिरीक्षक का छूटा पाया जाता है तो ई—मेल के माध्यम से Excel File में प्रेषित की गयी सूची में सम्बन्धित उपनिरीक्षक, जिसका डाटा संशोधित किया गया हो अथवा नाम छूटा होने की दशा में किसी उपनिरीक्षक का नाम जोड़ा जाय तो ऐसे **समस्त संशोधित एवं जोड़े गये उपनिरीक्षकों की सूची** निर्धारित कालम में उसका पूर्ण विवरण अंकित करते हुये पुलिस मुख्यालय के Email ID. **inspromo1998@gmail.com** पर **विलम्बतम् दिनॉकः20—11—2014 तक** उपलब्ध कराया जाय। साथ ही **दिनॉकः20—11—2014 तक** इस आशय का **प्रमाण—पत्र** भी उपलब्ध कराया जाय कि प्रकाशित अनन्तिम वरिष्ठता सूची में आपके जनपद/इकाई में नियुक्त मृतक आश्रित वर्ष—1995—96 (प्रशिक्षण सत्र—1995—96), सीधी भर्ती परीक्षा—1991(प्रशिक्षण सत्र—1997—98) तथा प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रशिक्षण सत्र—2000—01 में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, विभागीय रैंकर परीक्षा—1991(प्रशिक्षण सत्र —1997—98) एवं मृतक आश्रित वर्ष—1997—98 (प्रशिक्षण सत्र—1997—98) के किसी भी उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना का नाम छूटा नहीं है। यदि किसी उपनिरीक्षक का डाटा संशोधित किया जाता है तो यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि नामिनल रोल डाटा बेस प्रणाली में भी सम्बन्धित उपनिरीक्षक का डाटा संशोधित कर दिया गया है।

8– पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याःपॉच–470(वरिष्ठता)2014 दि0 29–07–2014 द्वारा प्रकाशित ऐसे उपनिरीक्षक कैडेटों की सूची जिनके सम्बन्ध में कोई सूचना उ0प्र0 पुलिस नामिनल रोल डाटा बेस प्रणाली में उपलब्ध नहीं थी, उनमें से जिनके सम्बन्ध में जनपद/इकाईयों द्वारा उनके नियुक्त होने की पुष्टि कर दी गयी है, उन्हें संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची में यथास्थान सम्मिलित कर दिया गया है। साथ ही जिन उपनिरीक्षक कैडेटों के सम्बन्ध में जनपद/इकाईयों द्वारा उनके नियुक्त होने की पुष्टि नहीं की गयी है उनके नाम संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची से हटाकर अलग से Excel File में प्रेषित किये गये है। कृपया ऐसे नामों को भी विशेष रूप से देखकर यह सुनिश्चित करा लिया जाय कि वे उनके जनपद/इकाई में नियुक्त तो नहीं हैं। यदि इस सूची में अंकित कोई उपनिरीक्षक आपके जनपद/इकाई में नियुक्ति होना पाया जाता है तो दिनॉकः20–11–2014 तक पुलिस मुख्यालय के **Email ID. inspromo1998@gmail.com** पर उसका सम्पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करते हुये उसके नाम को सम्मिलित करा लिया जाय।

9– अतः अनुरोध है कि कृपया निर्धारित समयसीमा के अन्दर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।

2– पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रषित है कि कृपया अपने स्तर से सर्वसम्बन्धित को अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समुचित निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस उपमहानिरीक्षक,एन0आई0ए0, 1/131 विजयखण्डगोमती नगर लखनऊ।

2– निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।

3– आयुक्त व्यापार कर विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

4– पुलिस अधीक्षक,पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ।

5– पुलिस अधीक्षक,सीबीआई लखनऊ।

6– पुलिस अधीक्षक, वाणिज्य कर विभाग लखनऊ।

7– संयुक्त सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकारण, इलाहाबाद।

8– सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकारण, गाजियाबाद।

9– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

10– संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

11– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर–6, गौतमबुद्धनगर।

––––